



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. धरवेश कठेरिया
कुलसचिव
Dr. Dharvesh Katheriya
Registrar



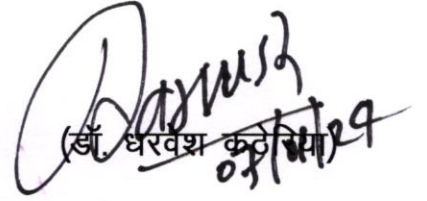
दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-28 / 2024
दिनांक : 07.01.2024

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय के विधि विभाग (विधि विद्यापीठ) के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की प्रथम, तृतीय एवं पंचम छमाही की कक्षाएँ दिनांक 12 जनवरी, 2024 (शुक्रवार) से आरंभ की जा रही हैं। सूचनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित सत्रांत अवकाश दिनांक 14 से 21 जनवरी, 2024 के दौरान भी इन विद्यार्थियों की कक्षाएँ नियमित रूप से संचालित होंगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।


(डॉ. धरवेश कठेरिया)

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
4. कुलानुशासक
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
6. अध्यक्ष, विधि विभाग
7. समस्त छात्रावास अधीक्षक
8. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
9. जनसंपर्क अधिकारी
10. प्रभारी लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
11. सुरक्षा अधिकारी
12. रक्षित पत्रावली